

न्यायालय :-मनीष कुमार सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला-बालाघाट

// विविध आदेश //

कमांक- 306/मु.न्या.मजि./2026

बालाघाट, दिनांक 29/04/2026

माह मई एवं जून 2026 के सार्वजनिक अवकाश दिवसों में रिमांड कार्य निष्पादित करने हेतु निम्नानुसार व्यवस्था की जाती है। कॉलम कमांक-2 में दर्शाये गये न्यायिक मजिस्ट्रेट नियत दिनांक पर अपने स्टॉफ सहित दोपहर 03.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक स्वयं के न्यायालय में उपस्थित होकर सभी न्यायालय के रिमाण्ड कार्य जो उस सार्वजनिक अवकाश दिनांक को प्रस्तुत किये जायेंगे, निष्पादित करेंगे तथा कॉलम नम्बर-2 में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट के अनुपस्थिति या अवकाश पर रहने पर इस विविध आदेश में उल्लेखित नोट कमांक-1 के अनुसार इंचार्ज न्यायिक मजिस्ट्रेट, जो कार्य-विभाजन 2026 के "परिशिष्ट-ब" के रूप में उल्लेखित है, उनके द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी करने हेतु निम्नानुसार व्यवस्था की जाती है :-

क.	रिमांड ड्यूटी करने वाले मजिस्ट्रेट का नाम	सार्वजनिक अवकाश/रिमांड ड्यूटी की तिथि	रिमार्क
1	2	3	4
बालाघाट मुख्यालय			
1	श्री नीरज कुमार सोनी, Jmfc.Bgt.	16, 24 मई, 2026 एवं	इस विविध आदेश में उल्लेखित नोट कमांक-1 के अनुसार
2	श्री सौरभ गोस्वामी, Jmfc.Bgt.	01, 10 मई, 2026	
3	सुश्री शालिनी भंडारी, Jmfc.Bgt.	20 एवं 21 जून, 2026	
4	श्री राज पाण्डेय, Jmfc.Bgt.	31 मई, 2026 एवं 06 जून, 2026	
5	श्री अविनाश छारी, Jmfc.Bgt.	02 मई, 2026 एवं 28 जून, 2026	
6	श्री ईशान ढेंगुला, Jmfc.Bgt.	17, 27 मई, 2026 एवं 26 जून, 2026	
7	सुश्री निहारिका व्यास, Jmfc.Bgt.	03 मई, 2026 एवं 07, 14 जून, 2026	
तहसील वारासिवनी			
1	श्रीमती दिव्या सिंह, Jmfc.Waraseoni	10 मई, 2026 एवं 06, 07 जून, 2026	इस विविध आदेश में उल्लेखित नोट कमांक-1 के अनुसार
2	श्री ऋषभ डॉनल सिंह, Jmfc.Waraseoni	02, 16 मई, 2026 एवं 28 जून, 2026	
3	श्रीमती अंकिता जैन, Jmfc.Waraseoni	17 मई, 2026 एवं 20, 21 जून, 2026	
4	सुश्री नेहा बाथरी, Jmfc.Waraseoni	03, 31 मई, 2026 एवं 26 जून, 2026	
5	श्री नयन जैन, Jmfc.Waraseoni	01, 24, 27 मई, 2026 एवं 14 जून, 2026	
तहसील बैहर			
1	श्रीमती शिवानी असाटी, Jmfc.Baihar.	16, 17, 24, 27 मई, 2026 एवं 14, 21, 26, 28 जून, 2026	इस विविध आदेश में उल्लेखित नोट कमांक-1 के अनुसार

2	श्री संजय शाक्य, Jmfc.Baihar.	01, 02, 03, 10, 31 मई, 2026 एवं 06, 07, 20 जून, 2026	
तहसील कटंगी			
2	सुश्री शबाना खान, Jmfc.Katangi	01, 02, 03, 10, 16, 17, 24, 27, 31 मई, 2026 एवं 06, 07, 14, 20, 21, 26, 28 जून, 2026	इस विविध आदेश में उल्लेखित नोट क्रमांक-1 के अनुसार
तहसील लांजी			
1	श्री प्रीतम शाह, Jmfc.Lanji	01, 02, 03, 10, 16, 17, 24, 27, 31 मई, 2026 एवं 06, 07, 14, 20, 21, 26, 28 जून, 2026	इस विविध आदेश में उल्लेखित नोट क्रमांक-1 के अनुसार

नोट:-01. किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी का स्थानांतरण/अवकाश अथवा अति-आवश्यक कार्य आ जाने से (अवकाश अथवा अति-आवश्यक कार्य के संबंध में अनुमति/सूचना पश्चात्) उपलब्ध ना होने की स्थिति में उनके स्थान पर रिमाण्ड ड्यूटी कार्य-विभाजन पत्रक 2026 के "परिशिष्ट-ब" के अनुसार इंचार्ज मजिस्ट्रेट के द्वारा सम्पादित की जायेगी।

02. माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा वर्ष 2026 के संबंध में म0प्र0 जिला न्यायालय के लिये जारी कलेण्डर में दिनांक 27.05.2026 को इदुलजुहा का अवकाश घोषित किया गया है। उक्त अवकाश की तिथि में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा यदि कोई परिवर्तन किया जाता है तब ऐसी स्थिति में जिन न्यायिक मजिस्ट्रेट की रिमाण्ड ड्यूटी दिनांक 27.05.2026 को नियत की गई है वे न्यायिक मजिस्ट्रेट परिवर्तित अवकाश तिथि में रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित करेंगे।

03. यदि किसी कारणवश माह मई एवं जून, 2026 में नियत अवकाश के अलावा अन्य कोई सार्वजनिक एवं स्थानीय अवकाश घोषित होता है, तो उक्त घोषित अवकाश तिथि को बालाघाट मुख्यालय का रिमांड कार्य सुश्री निहारिका व्यास न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बालाघाट, तहसील मुख्यालय वारासिवनी का रिमांड कार्य श्री नयन जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी वारासिवनी, तहसील मुख्यालय बैहर का रिमांड कार्य श्री संजय शाक्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, तहसील मुख्यालय कटंगी का रिमांड कार्य सुश्री शबाना खान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटंगी एवं तहसील मुख्यालय लांजी का रिमाण्ड कार्य श्री प्रीतम शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लांजी के द्वारा निष्पादित किया जावेगा।

04. यदि किसी कारणवश माह मई एवं जून, 2026 में नियत अवकाश पर तहसील मुख्यालय लांजी एवं बैहर (तहसील मुख्यालय बैहर में वैकल्पिक मजिस्ट्रेट के अनुपस्थित रहने पर) में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट को आवश्यक कार्य आ जाने से वे माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय की अनुमति उपरांत मुख्यालय से बाहर जाते हैं तो ऐसी स्थिति में तहसील मुख्यालय लांजी एवं बैहर का रिमाण्ड कार्य बालाघाट मुख्यालय में रिमांड कार्य संपादित करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जावेगा।

05. यदि किसी कारणवश माह मई एवं जून, 2026 में नियत अवकाश पर तहसील मुख्यालय कटंगी में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट को आवश्यक कार्य आ जाने से वे माननीय

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय की अनुमति उपरांत मुख्यालय से बाहर जाते हैं तो ऐसी स्थिति में **तहसील मुख्यालय कटंगी** का रिमाण्ड कार्य **तहसील मुख्यालय वारासिवनी** में रिमाण्ड कार्य संपादित करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जावेगा।

06. यदि किसी कारणवश माह मई एवं जून, 2026 में **किशोर न्याय बोर्ड बालाघाट** के प्रधान मजिस्ट्रेट (प्रधान मजिस्ट्रेट का नोटिफिकेशन होने पर) एवं सदस्यगण अवकाश के दिन मुख्यालय से बाहर रहते हैं तो किशोर न्याय बोर्ड बालाघाट से संबंधित रिमाण्ड कार्य **बालाघाट मुख्यालय** में रिमाण्ड ड्यूटी करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निष्पादित किया जावेगा।

07. यदि किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट की रिमाण्ड ड्यूटी सार्वजनिक अवकाश के दौरान लगाई गई है और उन्हें उक्त अवकाश दिवस में आवश्यक कार्य आ जाने से अवकाश के दौरान मुख्यालय के बाहर जाना है तो ऐसे न्यायिक मजिस्ट्रेट मुख्यालय से बाहर जाने के पूर्व उनके स्थान पर रिमाण्ड ड्यूटी करने वाले संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट की लिखित सहमति अपने अवकाश आवेदन पत्र में लिखाये जाने के बाद ही अपना आवेदन पत्र प्रेषित कर स्वीकृत होने के उपरांत ही मुख्यालय से बाहर जावें।


(मनीष कुमार सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बालाघाट(म0प्र0)

प्रतिलिपि:—

- 1— कार्यालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालाघाट की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- 2— समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बालाघाट/वारासिवनी/बैहर/कटंगी/लांजी को व्हाट्स-अप एवं ई-मेल द्वारा सूचनार्थ प्रेषित।
- 3— अध्यक्ष अधिवक्ता संघ बालाघाट/वारासिवनी/बैहर/कटंगी/लांजी को सूचनार्थ प्रेषित।
- 4— कम्प्युटर अनुभाग, बालाघाट/वारासिवनी/बैहर/कटंगी/लांजी को व्हाट्स-अप/ई-मेल द्वारा उपरोक्तानुसार सूचित करने हेतु प्रेषित।


(मनीष कुमार सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
011 बालाघाट(म0प्र0)